राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक एफ.21(07)/निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/ 198–630 दिनांक :30/10/2015

आदेश

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य हैं जिसका क्षेत्रफल 343 लाख हैक्टेयर हैं । इसमें से 168 लाख हैक्टेयर भूमि ही कृषि योग्य हैं। राज्य की 101 लाख हैक्टेयर भूमि बंजर हैं। राज्य में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत हैं जबकि उपलब्ध जल मात्र 1.16 प्रतिशत ही हैं।

दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य को दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती हैं , जिसके पश्चिम में थार मरूस्थल हैं जो लगभग राज्य के क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत हैं। राज्य की वार्षिक वर्षा शुष्क गर्म पश्चिम में 100 मि.मि. से दक्षिण पूर्व में 900 मि.मि. तक होती हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में सामान्यतः 3 वर्ष अकाल से प्रभावित होते हैं अर्थात अनिश्चित एवं असामयिक वर्षा ओर उसके असंतुलित वितरण के कारण फसल उत्पादन असुरक्षित रहता हैं। कभी–कभी कम समय में अधिक वर्षा होने (High Intensity Rainfall) से प्राप्त वर्षा जल का अधिकतम भाग व्यर्थ बह जाता हैं। उक्त जलग्रहण हेतु जल भरण ढांचों के अभाव में समुचित जल का उपयोग नहीं होता हैं जिससे कुंओं का जलस्तर गिरता जा रहा हैं। राजस्थान में प्रायः वर्षा अंतराल काफी अधिक होता हैं जिससे फसल उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। फलस्वरूप राज्य के कृषक की कृषि उत्पादन में कमी तथा कृषि योग्य भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो जाने से अन्य चारा, लकड़ी, दूध की कमी के कारण सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही हैं। इस परिस्थिति के लिए मुख्यतः पानी की कमी ही प्रमुख कारण हैं।

वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में अनिश्चितता, अधिकांशः पंचायत समितियों में प्रति वर्ष जल स्तर (वाटर टेबल) का गिरना, अधिकांश क्षेत्र प्रति वर्ष अकाल की चपेट में आने से उन क्षेत्रों के लिए टेन्कर से पानी उपलब्ध करवाना एवं पशुओं के लिए चारे आदि पर बहुत बड़ी राशि व्यय होती हैं। उपरोक्त स्थितियों से निपटने के लिए **"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान"** प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हैं। उक्त कार्य को विभिन्न विभागों के समन्वय से एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवाकर सम्पादित किया जायेगा।

1. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के मुख्य उद्देश्य

- राज्य में प्राप्त विभिन्न वित्तीय संसाधनों (केन्द्रीय, राज्य, कॉर्पोरेट जगत, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन एवं जन सहयोग) का कनवरजेन्स कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना।

- ग्रामीणों एवं लाभान्वितों की जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जनसहभागिता से कार्य सम्पादित कराना।

- ग्राम स्तर पर ग्रामसभा में जल की समग्र आवश्यकता यथा पेयजल, सिंचाई, पशुधन व अन्य व्यवसायिक कार्यो हेतु आंकलन कर उपलब्ध समस्त स्त्रोतों से प्राप्त जल के अनुरूप जल बजट का निर्माण कर उसी के अनुरूप कार्यो का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव पारित कर मिशन की ग्राम कार्य योजना तैयार करना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं मिट्टी की नमी) को जल भराव क्षेत्रों की क्षमता को विकसित कर रोकना जिसमें जिले में उपलब्ध जल संग्रहण ढांचों का उपयोग, अनुपयोगी जल ढांचों का पुनरूद्धार/कायाकल्प कर क्रियाशील करना एवं नये जल संग्रहण ढांचों का निर्माण करना।

- जलग्रहण क्षेत्र/कलस्टर/इनडेक्स कैचमेन्ट को इकाई मानते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कर जल, जंगल, जमीन, जन एवं जानवर का विकास करना।
- ग्राम को जल आत्म निर्भर बनाकर पेयजल का स्थाई समाधान करना।
- क्षेत्रों में जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचाई क्षेत्रफल को बढाना।

2. अभियान का कार्य क्षेत्र

राजकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्थान, कॉर्पोरेट सोशियल रेस्पोन्सिब्लिटी (CSR), जनसहभागिता, नॉन रेजिडेन्ट विलेजर्स क्लब (NRV Club) इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त/उपलब्ध निधियों से जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य सम्पादित कर राज्य के गॉवों को सूखा मुक्त किये जाने हेतु प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्रवार वाटर बजटिंग कर जल का स्थाई समाधान किये जाने हेतु **राज्य में प्रथम वर्ष में लगभग 3000 गॉवों को वरीयता के आधार पर चिन्हित किया जायेगा एवं आगामी 3 वर्षो में प्रति वर्ष 6000 गॉवों को उक्त मिशन में सम्मिलित करते हुए राज्य के लगभग 21000 गॉवों को उक्त मिशन में लाभान्वित कर जल की आवश्यकता की**

दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाकर स्थाई समाधान किया जायेगा। शेष गॉवों में चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता क्रम अनुसार कार्य करवाये जाएंगे।

3. कार्य अवधि

- "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" की कार्य अवधि 4 वर्ष रहेगी।
- प्रत्येक वर्ष की कार्य योजना में स्वीकृत कार्य एक वर्ष में ही पूर्ण करने का लक्ष्य हैं। प्रयास यह रहे कि 30 जून तक कार्य पूर्ण करा लिये जाये जिससे कि जल संरक्षण कार्यो के परिणाम उसी वर्ष परीलक्षित हो सकें। केवल विशेष परिस्थिति में ही जिला समिति की स्वीकृति पर आगामी वर्ष में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

सामान्यतः स्वीकृत राशि के अनुरूप ग्रामीण कार्य निर्देशिका अथवा जिला समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही कार्य पूर्ण कराने की अवधि रहेगी।

4. राज्य जल स्वावलम्बन अभियान :

राज्य में जल स्वावलम्बन अभियान के उददे्श्यों की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में राज्य जल स्वावलम्बन अभियान का गठन किया जाता हैं। मिशन के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में राज्य निर्देशन समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे जल स्वावलम्बन टास्क फोर्स, जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता हैं। प्रत्येक स्तर की कमेटी के सदस्य आदि का विवरण निम्नानुसार हैं :–

4.1 राज्य जल स्वावलम्बन अभियान

1	माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2	माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग	सदस्य
3	माननीय वित्त मंत्री	सदस्य
4	माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
5	माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
6	माननीय मंत्री आयोजना विभाग	सदस्य
7	माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
8	माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
9	माननीय मंत्री उद्योग विभाग	सदस्य
10	माननीय मंत्री कृषि विभाग	सदस्य
11	माननीय मंत्री राजस्व विभाग	सदस्य

12	अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण	सदस्य
13	मुख्य सचिव	सदस्य
14	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
15	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
16	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
17	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
18	शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
19	शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
20	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी व भू जल विभाग	सदस्य
21	शासन सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
22	दो विषय विशेषज्ञ, (एक जल संसाधन आयोजना व एक जलग्रहण विकास कार्यो के कम से कम 20 वर्षो का अनुभव)	सदस्य
23	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव

4.2 राज्य निर्देशन समिति

राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के चैयरमेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्देशन समिति का गठन किया जाता हैं, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होगें :–

1	अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	मुख्य सचिव	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
5	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
6	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
7	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
8	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
9	शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
10	शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
11	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भू जल विभाग	सदस्य
12	शासन सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
13	शासन सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
14	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
15	आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा योजना	सदस्य
16	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
17	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग	सदस्य
18	दो विषय विशेषज्ञ, (एक जल संसाधन आयोजना व एक जलग्रहण विकास कार्य)	सदस्य
19	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव

4.2.1 राज्य निर्देशन समिति के कार्य

1. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के समस्त 7 उददेश्यों को क्रियान्वित करना।
2. नीति निर्धारण के संबंध में सलाह देना।
3. मिशन के उददे्श्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति तैयार करना।
4. ग्राम कार्य योजना तैयार करने हेतु सलाह देना।
5. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण(convergence of funds) सुनिश्चित करवाना।
6. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
7. क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना।
8. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यो हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों को उपयोग में लेने हेतु प्लान तैयार करना।
9. मिशन के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
10. समुचित आईईसी गतिविधियों एवं कार्यो के त्वरित सम्पादन हेतु जिला कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित करना।
11. कार्यो के मूल्यांकन हेतु स्वतन्त्र ऐजेन्सी की व्यवस्था करना (यदि आवश्यक हो तो)।

राज्य में नदी बेसिन आधार पर जल संसाधनों को विकसित करने के उददेश्य से राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण गठित किया गया हैं। मिशन के उददेश्यों एवं उक्त प्राधिकरण के उददेश्यों में समानता होने के दृष्टिगत राज्य निर्देशन समिति राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को मिशन की गतिविधियों के नियमित समीक्षा हेतु अधिकृत कर सकेगी।

4.3 जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स का गठन किया जाता हैं। टास्क फोर्स द्वारा "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" की कार्य योजना, विभिन्न विभागों के कार्यो में अभिसरण एवं कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जावेगी। इस टास्क फोर्स में निम्नानुसार सदस्य होगें :–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं पशुपालन विभाग	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
6	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
7	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
8	शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
9	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भू जल विभाग	सदस्य
10	शासन सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
11	शासन सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
12	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
13	संभागीय आयुक्त, समस्त	सदस्य
14	आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा योजना	सदस्य
15	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
16	निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग	सदस्य
17	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव

6.3.1 टास्क फोर्स के कार्य

1. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना।
2. मिशन के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण (convergence of funds) सुनिश्चित करवाना।

6.4 जिला प्रभारी मंत्री स्तर पर कार्यो की समीक्षा

जिले के प्रभारी मंत्री मिशन की नियमित समीक्षा करेंगें। इस हेतु संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नानुसार समीक्षा समिति का गठन किया जाता है :–

1	**जिले के प्रभारी मंत्री**	**अध्यक्ष**
2	**जिले के विधायकगण**	**सदस्य**
3	**जिला प्रमुख**	**सदस्य**
4	**जिला कलक्टर**	**सदस्य**
विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी		
5	**कृषि एवं उ़द्यान विभाग**	**सदस्य**
6	**जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग**	**सदस्य**
7	**उद्योग विभाग**	**सदस्य**
8	**वन विभाग**	**सदस्य**
9	**देवस्थान विभाग**	**सदस्य**
10	**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**	**सदस्य**
11	**पंचायती राज विभाग**	**सदस्य**

12	**जल संसाधन विभाग**	**सदस्य**
13	**महात्मा गॉधी नरेगा योजना**	**सदस्य**
14	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद**	**सदस्य सचिव**

6.4.1 जिला प्रभारी स्तर पर गठित समीक्षा समिति के कार्य :

1. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।

2. मिशन के कार्यों के सम्पादन हेतु विभिन्न माध्यमों से जनजागरूकता उत्पन्न करना एवं जन सहभागिता से अधिकाधिक निधियां प्राप्त करना।

3. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु निधियों की उपलब्धता एवं इसके उपयोग की समीक्षा करना।

4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप चयनित क्षेत्रों में राशि के अभिसरण (Convergence of funds) में आ रही कठिनाईयों का निवारण करना।

5. स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करना।

प्रभारी सचिव इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्यन हेतु प्रभारी मंत्री का सहयोग करेगे।

6.5 जिला स्तरीय समिति

जिला स्तर पर "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" की कार्य योजना के क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के कार्यो का अभिसरण करवाकर कार्यो की प्रगति की समीक्षा करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता हैं। वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों को मनोनीत करने का अधिकार जिला कलक्टर को होगा। जिला स्तरीय समिति में निम्नानुसार सदस्य होगें :–

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिला जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी		
3	कृषि विभाग	सदस्य
4	पशुपालन विभाग	सदस्य
5	उद्यान विभाग	सदस्य
6	पर्यावरण विभाग	सदस्य
7	वन विभाग **	सदस्य
8	देवस्थान विभाग	सदस्य
9	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य

10	भू जल विभाग	सदस्य
11	जल संसाधन विभाग	सदस्य
12	आयोजना विभाग	सदस्य
13	सांख्यिकी विभाग	सदस्य
14	उद्योग विभाग	सदस्य
15	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग	सदस्य
16	अतिरिक्त जिला समन्वयक, महात्मा गॉधी नरेगा योजना	सदस्य
17	दो पंजिकृत गैर सरकारी संस्थाएं (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित)	सदस्य
18	दो विषय विशेषज्ञ, (एक जल संसाधन आयोजना व एक जलग्रहण विकास कार्य)	सदस्य
19	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव

** जिन जिलों में वन विभाग का कलस्टर/वन विभाग की जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत हैं, उनके परियोजना के उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक परियोजना आमंत्रित सदस्य होंगे।

6.5.1 समिति के कार्य

1. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2. राज्य निर्देशन समिति एवं टास्क फोर्स को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
3. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यो हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों के उपयोग हेतु व्यवस्था करना।
4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण (convergence of funds) सुनिश्चित करवाना।
5. जिला कार्य योजना से मिशन के लिये उपलब्ध राशि में से कार्य स्वीकृत करना।

6.6 ब्लॉक स्तरीय समिति

ब्लॉक स्तर पर उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता हैं, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगें :–

1	उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
विभागों के ब्लॉक स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी		
2	कृषि विभाग	सदस्य
3	पशुपालन विभाग	सदस्य
4	उद्यान विभाग	सदस्य
5	वन विभाग**	सदस्य
6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
7	जल संसाधन विभाग	सदस्य
8	भू जल विभाग	सदस्य
9	उद्योग विभाग	सदस्य
10	दो पंजिकृत गैर सरकारी संस्थाएं (जिला कलक्टर द्वारा मनोनित)	सदस्य
11	सहायक अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	सदस्य
12	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य सचिव

** जिन जिलों में वन विभाग की (नाबार्ड, जायका आदि) योजनाएं स्वीकृत हैं, उनके परियोजना के क्षैत्रिय वन अधिकारी परियोजना आमंत्रित सदस्य होंगे।

6.6.1 समिति का कार्य

1. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2. जिला स्तरीय समिति को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. मिशन के उददेश्यों के आधार पर ग्राम कार्य योजनाओं तैयार करना एवं ब्लॉक के संकलित प्लान को जिला समिति को प्रस्तुत करना।

6.7 कार्य योजना तैयार करने हेतु ग्राम स्तरीय समिति

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिये ग्राम योजना तैयार करने के लिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति उत्तरदायी रहेगा। कार्य योजना तैयार करने के लिये जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कृषि पर्यवेक्षक, राजस्व विभाग के पटवारी, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वन विभाग, हैण्ड पम्प मिस्त्री, महिला एवं बाल विकास विभाग से महिला पर्यवेक्षक, भू जल विभाग के प्रतिनिधी का दल जिम्मेदार होगा। जिला कलेक्टर द्वारा ग्रामवार इस प्रकार दल का गठन कर आदेश जारी किये जायेंगें।

7. जिला कार्य योजना की स्वीकृति

ग्रामसभा से अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार मिशन की जिला कार्य योजना में सम्मिलित कार्यो को प्राथमिकता अनुसार जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् जिला मिशन प्लान जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जावेगा।

7.1 प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अंतर्गत प्राप्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी। विभागीय कार्यो की स्वीकृति योजना के दिशा–निर्देशों के प्रावधान अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी। विस्तृत मार्गदर्शन पृथक से जारी किये जायेगें।

7.2 तकनीकी स्वीकृति

संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी। "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के कार्यो हेतु जिला कलेक्टर को दी गई विशेष शक्तियों के अनुरूप निर्देशित अधिकृत तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्यो का पृथक से रिकार्ड एवं रजिस्टर रखकर तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

8. गॉवों की वरियता सूचि तैयार करना

- जिन गॉवों में आईडब्ल्यूएमपी/अन्य जलग्रहण योजना यथा ''फोर वाटर कन्सेप्ट'' आदि स्वीकृत हैं।
- जिन गॉवों में पेयजल पीने योग्य नहीं हैं अथवा उसमें फ्लोराईड की मात्रा अधिक हैं।
- जिन गॉवों में विगत 5 वर्षो में टेन्करों द्वारा पेयजल आपूर्ति की गई हो।
- जिन गॉवों को विगत 5 वर्षो में अकालग्रस्त/अभावग्रस्त घोषित किया गया हो।
- जिन गॉवों में कृषि का 70 प्रतिशत क्षेत्र बारानी हो।
- मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य योजनाओं में सम्मिलित आदर्श गॉव।
- जो गॉव वन विभाग में स्वीकृत कलस्टर अंतर्गत हो।
- जो गॉव इस योजना में भागीदारी/हिस्सा देने के लिए इच्छुक हो।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार ग्रामों की प्राथमिकता ग्राम सभाओं में तय की जा सकती हैं।

प्रथम वर्ष में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग से स्वीकृत वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 162 परियोजनाओं के 135 ब्लॉक्स के ग्राम चयनित होंगें। शेष ब्लॉक्स में से वर्ष 2010–11 में स्वीकृत परियोजनाओं के 71 ब्लॉक्स् के ग्राम चयनित होंगें। इसके पश्चात् शेष ब्लॉक्स् में से वर्ष 2011–12 में स्वीकृत परियोजनाओं के 25 ब्लॉक्स के ग्राम चयनित होंगें। इसके उपरान्त शेष 64 ब्लॉक्स में प्रति ब्लॉक एक कलस्टर/माइक्रो वाटरशेड निम्न सारणी अनुसार प्राथमिकता के आधार पर गांवों का चयन किया जावेंगें :–

क्र. सं.	विवरण	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक
1	आईडब्ल्यूएमपी 09–10 अंतर्गत स्वीकृत गॉव	20	आईडब्ल्यूएमपी अंतर्गत स्वीकृत क्षेत्रफल गॉव के कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत से अधिक हो	25 से 50 प्रतिशत तक	25 प्रतिशत तक

			(20 अंक)	(15 अंक)	(10 अंक)
	आईडब्ल्यूएमपी 10–11 11–12 अंतर्गत स्वीकृत गॉव	15	50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल (15 अंक)	25 से 50 प्रतिशत तक (10 अंक)	25 प्रतिशत तक (5 अंक)
2	फोर वाटर कन्सेप्ट अंतर्गत स्वीकृत गॉव	15	50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल (15 अंक)	25 से 50 प्रतिशत तक (10 अंक)	25 प्रतिशत तक (5 अंक)
3	पेयजल हेतु टेन्कर आपूर्ति वाले गॉव	15	5 वर्षो से लगातार (15 अंक)	विगत 3 वर्षो से (10 अंक)	विगत वर्ष से (5 अंक)
4	अकाल प्रभावित गॉव	10	विगत 5 में से 3 वर्ष जिसमें गत वर्ष अकाल रहा हो (10 अंक)	विगत 5 में से 3 वर्ष (5 अंक)	विगत वर्ष में अकाल (3 अंक)
5	फलोराईड प्रभावित गॉव	5	प्रभावित गॉव (5 अंक)	–	–
6	बारानी कृषि क्षेत्र	5	70 प्रतिशत से अधिक (5 अंक.)	50 से 70 प्रतिशत (3 अंक)	–
7	वन विभाग के स्वीकृत गॉव	10	कलस्टर 3 वर्ष से प्रगतिरत (10 अंक.)	कलस्टर इस वर्ष कार्यरत (5 अंक.)	प्रस्तावित गॉव (3 अंक.)
8	सांसद आदर्श गॉव	10	आदर्श गॉव स्वीकृत (10 अंक.)	–	–
9	गॉव के विकास हेतु ग्रामीण जन समुदाय हिस्सेदारी देने के इच्छुक	10	प्रति 1.0 लाख रूपये (1 अंक)		
	<u>नोट</u> :– ● प्रथम वरियता वाले गॉव के माईक्रो वाटरशैड/कलस्टर (लगभग 5000 हैक्टेयर क्षेत्रफल) के समस्त गॉवों को प्रथम वरियता में रखा जावेगा तत्पश्चात् द्वितीय वरियता वाले गॉव का माईक्रो वाटरशैड/कलस्टर लिया जावेगा। इस तरह के कलस्टर का चयन तब तक क्रमवार किया जाता रहेगा जब तक कि कुल उपलब्ध गॉवों की संख्या लगभग 10 हो जावें। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक				

	ब्लॉक में कम से कम 1 माईक्रो वाटरशैड/कलस्टर स्वीकृत हो जायें। • गॉवों को समान अंक प्राप्त होने पर अधिक जनसंख्या वाले गॉव को प्राथमिकता दी जायेगी। आगामी वर्षो में उपलब्ध प्राथमिकता सूचि अनुसार गॉवों में कार्य लिये जावेंगें। • 4 वर्ष में राज्य के लगभग 21000 गॉवों को उक्त मिशन में लाभान्वित कर जल की आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाकर स्थाई समाधान किया जायेगा। शेष गॉवों में चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता क्रम अनुसार कार्य करवाए जाएंगें।

9.निधि की उपलब्धता

ग्राम कार्य योजना का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन पश्चात् प्रत्येक कार्य का लागत अनुमान तैयार किया जायेगा। तत्पश्चात् यह गणना की जायेगी कि वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध निधियॉ से कितने कार्य पूर्ण हो सकते हैं एवं कितने अन्य कार्यो के लिए पृथक से राशि जुटाने की आवश्यकता होगी। गतिविधियॉ एवं योजनाएँ जिनमें बजट उपलब्ध हो सकता हैं का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	नाम गतिविधि	बजट की उपलब्धता	कार्यकारी संस्था
1	जलग्रहण विकास कार्य जैसे जल संग्रहण ढांचे, फार्म पोण्ड, कन्टूर/फील्ड बण्ड, सीसीटी,डीपसीसीटी, गैबियन संकन गली पिट, एमपीटी, टांके, जोहड़ आदि।	पीएमकेएसवाई, आईडब्ल्यूएमपी,महात्मा गॉधी नरेगा,राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,राज्य निधि आदि।	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, पंचायतीराज संस्थाएं, वन विभाग कृषि विभाग
2	फोर वाटर कन्सेप्ट पर आधारित नदी बेसिन माइक्रो इरिगेशन टैंक, चैक डेम एवं जलग्रहण विकास कार्य हेतु नयी संरचनाएं बनाया जाना।	सिंचाई, भूजल, जलग्रहण एवं वन विभाग की योजनाएं	जल संसाधन, पंचायती राज, जलग्रहण एवं वन विभाग।
3	नालों को गहरा करना/ किनारों को चौड़ा करना तथा श्रृंखला में सीमेन्ट के चैकडेम अथवा अन्य नाला	पीएमकेएसवाई, राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि, जिला परिषद की योजनाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं,	जल संसाधन विभाग, जलग्रहण विकास विभाग एवं पंचायती राज संस्थाएं।

	बन्ध बनाना।	सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	
4	पुराने जल संग्रहण संरचनाओं का पुनरूद्धार/ कायाकल्प।	पीएमकेएसवाई, आईडब्ल्यूएमपी, महात्मा गॉधी नरेगा, जल संसाधन विभाग की योजनाएं, राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि, जिला परिषद की योजनाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	जल संसाधन विभाग, जलग्रहण विभाग एवं पंचायती राज संस्थाए।
5	नवीन लघु सिंचाई योजना बनाना एवं लघु सिंचाई योजना के कार्यो की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढीकरण कार्य	पीएमकेएसवाई, जल संसाधन विभाग की योजनाएं, राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि, जिला परिषद की योजनाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	जल संसाधन विभाग, जलग्रहण विभाग एवं पंचायती राज संस्थाएं।
6	गॉव के तालाबों, नाड़ियों, पानी के टेन्कों, जलग्रहण ढांचों, परकुलेशन टेन्कों आदि जल संग्रहण संरचनाओं से मिट्टी/गहरा करने का कार्य।	पीएमकेएसवाई, राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि, जिला परिषद की योजनाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	जल संसाधन विभाग, जलग्रहण विभाग एवं पंचायती राज संस्थाएं।
7	क्षेत्र में निर्मित बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सिंचाई क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के कार्य।	पीएमकेएसवाई, राज्य निधि, सांसद/विधायक विकास निधि, जिला परिषद की योजनाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, सीएसआर तथा संस्थागत सहायता।	जल संसाधन विभाग एवं पंचायती राज संस्थाएं।
8	जल स्त्रोंतों/संरचनाओं को नालों से जोड़ने का कार्य।	पीएमकेएसवाई, महात्मा गॉधी नरेगा, जनसहभागिता, स्वयंसेवी संस्थाएं	जल संसाधन, ग्राम पंचायत एवं जलग्रहण विभाग
9	कृत्रिम भूजल पुर्नभरण संरचनाओं का निर्माण	महात्मा गॉधी नरेगा, जल संसाधन, भूजल एवं जलग्रहण विभाग व केन्द्रीय जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	भूजल, स्थानीय निकाय, जल संसाधन विभाग, पंचायतीराज विभाग,

10	पेयजल स्त्रोंतों को सृदृढीकरण करने के कार्य।	पीएमकेएसवाई, जिला परिषद की योजनाएं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्राम पंचायत निजी आय एवं प्राप्त अनुदान।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं पंचायती राज संस्थाएं
11	वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के सिंचित क्षेत्र में विकास कार्य कराना।	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	जल संसाधन विभाग पंचायती राज विभाग एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग
12	चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण	पीएमकेएसवाई, वन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	वन विभाग
13	ग्रामीण क्षेत्र में जल निकास एवं सेनीटेशन कार्य	पंचायती राज संस्थाएं एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	पंचायती राज संस्थाएं एवं जल संसाधन विभाग

- उपरोक्त बजट प्रावधान एवं कार्यकारी संस्थाएं उदाहरणार्थ हैं : जिला कलक्टर के स्तर पर योजना के कार्यकारी विभागों के दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिले की कार्य योजना बनाये जाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

9.1 कार्य नीति एवं पद्वति(Strategy and aproach)

1. कलस्टर/माईक्रो वाटरशेड के आधार पर राज्य के सभी जिलों के सभी ब्लाक्स में प्रथम वर्ष में हेतु लगभग 3000 गॉवों का चयन किया जायेगा।
2. माडल कलस्टर कार्य योजना के अनुसार ही इन गॉवों की ग्राम कार्य योजना तैयार की जायेगी एवं तद्नुसार ही कार्य सम्पादित किये जाएँगे।
3. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अंतर्गत कलस्टरवार तैयार कार्य योजना की क्रियान्विती हेतु सर्वप्रथम केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं में उपलब्ध निधियों का प्रचलित दिशा–निर्देशानुसार उपयोग हेतु आंकलन किया जायेगा।
4. इस वित्तीय वर्ष में कार्य योजना के अनुसार सम्पादित किये जाने वाले कार्यो हेतु सभी 295 ब्लाक्स में प्रत्येक ब्लाक हेतु कम से कम एक कलस्टर/माइक्रो वाटरशेड के चयनित होने पर विशिष्ट राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। कार्य योजना में सम्मिलित कार्यो की प्राथमिकता इस प्रकार निर्धारित की जावे कि विशिष्ठ राशि की दो तिहाई राशि जलग्रहण/मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो पर ही व्यय हो।

5. पंचायत समिति स्तर पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्ध करवाई गई निर्बन्ध राशि के बराबर वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्बन्ध राशि उपलब्ध करवाने के पश्चात् शेष निर्बन्ध राशि को अभियान हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा। निर्बन्ध राशि से अभियान हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि के पश्चात् इस वित्तीय वर्ष में अभियान हेतु आवश्यक शेष राशि अतिरिक्त राशि के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। अभियान हेतु उपलब्ध करवाई जाने वाली विशिष्ट राशि के उपयोग हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगें।
6. कार्य योजना के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में सम्पादित किये जाने वाले कार्यो हेतु अगले वित्तीय वर्ष हेतु तैयार किये जाने वाले बजट में अलग से प्रावधान किया जायेगा।
7. सीएसआर/एनजीओ/जन सहभागिता से प्राप्त निधियों का उपयोग कार्य योजना को पूर्ण करने हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा।
8. राजकीय विभागों द्वारा राजकीय राशि से अभियान के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदार्शिता नियम (RTPP) जहॉ भी लागू होता हो, वहॉ पारदर्शिता नियम के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

10. परियोजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी

कृषि विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, महात्मा गॉधी नरेगा योजना, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन, स्वयंसेवी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम विकास मण्डल (रजिस्टर्ड संस्थाएं), भू जल विभाग, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत विभाग/संस्था/संस्थान/विशेषज्ञ।

11. अभियान अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य

1. जलग्रहण (कैचमेन्ट) क्षेत्र उपचार : डीप कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज (सीसीटी) कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज (सीसीटी), स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेज, फार्म पोण्ड्स्, मिनी परकोलेशन टेन्क (एमपीटी) संकन गली पिट (एसजीपीटी), मिट्टी के बण्ड मय स्टोन पिंचिंग, खड़ीन, जोहड़, टांका निर्माण, वाटर हार्वेस्टींग स्ट्रक्चर, गैबियन, कम्पार्टमेन्ट/कन्टूर/फील्ड बण्ड इत्यादि।

2. नाला उपचार (ड्रेनेज लाईन ट्रीटमेन्ट)। श्रृंखलाबद्ध छोटे–छोटे एनिकट, मिट्टी के चैकडेम एवं जल संग्रहण ढांचा, मिनी परकोलेशन टेन्क ((एमपीटी) संकन गली पिट (एसजीपीटी), माईनर ईरीगेशन टेन्क इत्यादि।

3. लघु सिंचाई योजना के कार्यो की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढीकरण कार्य, क्षेत्र में निर्मित बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सिंचाई क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के कार्य एवं जल स्त्रोंतों/संरचनाओं को नालों से जोड़ने का कार्य।

4. जल संग्रहण ढांचों की क्षमता बढाना : मरम्मत एवं पुनरोद्धार/जीर्णोद्धार, कायाकल्प कर क्रियाशील करना, नालों से मिट्टी निकालकर गहरा एवं आवश्यकतानुरूप चौड़ा करना करना, नाला स्थरीकरण, पैरीफेरल बण्ड।

5. पेयजल स्त्रोंतों को सृदृढीकरण करने के कार्य, कुंए एवं ट्यूबवैलों तथा कृत्रिम भूजल पुर्नभरण संरचनाओं के पुर्नजलभरण का कार्य।

6. चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण।

7. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि हेतु फसल एवं उद्यानिकी की उन्नत विधियों (ड्रिप, सोलर पंप आदि) को बढावा देकर फसल चक्र में व्यवसायिक खेती को बढावा देना। रबी, खरीफ एवं जायद फसलों को अधिकाधिक लेने के प्रयास करना ।

12. <u>अभियान संचालन हेतु जिला कलक्टर को विशिष्ट अधिकार</u>

- जिले में "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" हेतु जिला कार्य योजना निर्माण करना, क्रियान्वयन, प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न योजनाओं में कनवरजेन्स के अधिकार।
- क्रियान्वयन हेतु समितियों का गठन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भू संरक्षण विशेषज्ञों का चयन का अधिकार।
- वित्त पोषण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं, सीएसआर, एनआरवी एवं अन्य भामाशाहों से मशीन, मानव, धन आदि की व्यवस्था का अधिकार।
- जिले में पदस्थापित कार्मिकों/अधिकारियों को मिशन से संबंधित कार्य आवंटन का मुक्तहस्त अधिकार।
- प्रशासनिक व्यवस्था हेतु स्वीकृतियॉ (प्रशासनिक, तकनिकी एवं वित्तीय) जारी करने हेतु सक्षम अधिकार।
- अग्रिम वित्तीय व्यवस्था, समायोजन हेतु लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों आदि को कार्य सम्पादन के निर्देश देने की शक्तियॉ प्रदान करना।

- मिशन हेतु मानव, मशीन, मेटेरियल की निविदाओं को स्वीकृत करने के समस्त अधिकार।

मिशन कार्यो में आदेशों की अवहेलना, वित्तीय अनियमितता, गबन एवं नियम एवं निर्देशों की पालना नहीं करने पर अराजपत्रित कार्मिकों के विरूद्ध निलम्बन, आरोप पत्र एवं लघु शास्ती आरोपित करने के अधिकार प्रदान किये जाते हैं। राजपत्रित कार्मिकों के विरूद्ध निलम्बन, आरोप पत्र एवं शास्ती आरोपित करने के लिए प्रचलित नियमों के तहत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के लिये योजना तैयार करने हेतु आवश्यक बिन्दु :

1. ग्रामीणों के साथ जल संरक्षण मिशन पर दल द्वारा चर्चा।
2. ग्राम का प्राकृतिक उपलब्ध संसाधन, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण।
3. ग्रामीणों के साथ चर्चा कर सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों को सम्मिलित करते हुए ग्राम कार्य योजना तैयार करना।
4. ग्रामीणों की उपस्थिति में जिला कलेक्टर/उनके प्रतिनिधी के समक्ष दल द्वारा ग्राम कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण करना।
5. ग्राम कार्य योजना स्वीकृति हेतु स्पेशल ग्रामसभा का आयोजन करना। प्रत्येक ग्रामसभा में जिला स्तरीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधी का आवश्यक रूप से भाग लेना।
6. ग्रामवार प्राप्त योजनाओं का संकलन कर ब्लॉक स्तर की योजना तैयार करना।
7. ब्लॉकवार प्राप्त योजनाओं का संकलित कर जिलेवार योजना तैयार करना।
8. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" का जिला स्तरीय समिति द्वारा प्लान का अनुमोदन करना।
9. प्राप्त योजनाओं के अनुसार कार्यो की स्वीकृतियॉ जारी करवाना।
10. स्वीकृति अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा कार्य प्रारंभ करवाना।
11. प्रभारी मंत्री, समस्त विधायक एवं जिला प्रमुख एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जिला स्तर पर समारोहपूर्वक जिले का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
12. मिशन के अंतर्गत 100 गॉवों में कार्यो की शुरूआत 13 दिसम्बर, 2015 को माननीय मंत्री, सासंद एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं शेष सभी चयनित ग्रामों में एक साथ दिनांक 27.01.2016 को जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कार्यो की शुरूआत करवाना।
13. जलग्रहण नक्शे पर समस्त भू जल पुनर्भरण क्षेत्रों एवं भू जल निकासी क्षेत्रों को अंकित किया जायेगा एवं समस्त भू जल पुनर्भरण हेतु निर्मित किये जा रहे ढांचों को भू जल पुनर्भरण क्षेत्रों में निर्मित किया जायेगा। जल संग्रहण ढांचों का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में नहीं किया जायेगा जो भू जल निकासी वाले भाग में आते है।

14. जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा लगभग 5000 हैक्टेयर के जलग्रहण क्षेत्र को चिन्हित किया जायेगा एवं इस पर गांव के नक्शे को सुपरइम्पोज किया जायेगा। इस सम्पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र की डीपीआर तैयार की जायेगी एवं इसमें आने वाले समस्त गांवों में विकास गतिविधियां डीपीआर अनुसार ली जायेगी। परियोजना का क्रियान्वयन गांव को इकाई मानते हुए किया जावेंगा।

13.1 "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" की जिला कार्य योजना तैयार करना

1. ग्राम कार्य योजना वार्ड सभा से तथा ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा तैयार कर ब्लॉक स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत की जावेगी।

2. पंचायत समिति में उप खण्ड/विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण कर उपखण्ड/विकास अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर पर प्रस्तुत की जावेगी।

3. जिला कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृतियॉ जारी की जाकर संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी कर सात दिवस में प्रस्तुत की जावेगी।

4. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा 15 दिवस में वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर कार्यकारी ऐजेन्सी को तुरंत प्रभाव से कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

5. जिला कलेक्टर द्वारा कार्यकारी ऐजेन्सीयों के अतिरिक्त ग्राम पंचायतवार/कलस्टरवार उत्तरदायी अधिकारियों को कार्यो के समय पर क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु समन्वयन के लिए नियुक्त किया जाकर प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी दी जावेगी।

6. माह में कम से कम एक बार जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उपखण्ड अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की जावेगी।

7. किये गये कार्यो के समयबद्ध भुगतान एवं राशि समायोजन के कार्यो की समीक्षा कर वित्तीय प्रगति भी सुनिश्चित की जावेगी।

8. प्रत्येक माह प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रबोधन एवं मूल्यांकन समिति के समक्ष जिले की प्रगति ग्राम पंचायतवार, विभागवार प्रस्तुत कर समस्या समाधान एवं निर्देश प्राप्त किये जाकर पालना की जावेगी।

14. सीएसआर/एनजीओ/ट्रस्ट आदि की भागीदारी

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अंतर्गत सीएसआर के तहत सामाजिक सरोकार के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु कॉर्पोरेट जगत, गैर सरकारी संस्थाओं, धार्मिक–सामाजिक ट्रस्टों, वैयक्तिैयिक समूहों, जन–सहयोग आदि से समस्त संभव सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त की जायेगी। कार्यो का क्रियान्वयन निम्न विकल्पों अनुसार किया जा सकेगा :–

1. सीएसआर अंतर्गत कॉर्पोरेट जगत/गैर सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट आदि को स्वतन्त्रता होगी कि जिला कार्य योजना के अंतर्गत जिला कलक्टर द्वारा बनाये गये नियमों एवं निर्देशानुसार किसी ग्राम विशेष की सम्पूर्ण कार्य योजना अथवा कार्य योजना की विशिष्ट गतिविधि/गतिविधियों को स्वयं अपने स्तर से क्रियान्वित कर सकेंगे।

2. कॉर्पोरेट जगत किसी भी सम्पूर्ण ग्राम और उसके कार्यो को गोद ले सकेंगें और विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन में स्वयं अपने स्तर से कार्य करा सकेगें।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त कॉर्पोरेट जगत ग्राम कार्य योजना में वित्तीय कमी (गैप्स्) हेतु प्रस्तावित कार्यो के लिए धन उपलब्ध करा सकेगें।

जिला कलक्टर का दायित्व होगा कि वह जिला कार्य योजना के अंतर्गत अनुमत सभी कार्यो के तकमीनें मय प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ कार्यो के उददेश्य, लक्षित उपलब्धी एवं लाभान्वितों की सूचि के साथ तैयार रखेगें जिससे सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थाऍं, जनभागीदारी, एनआरवी आदि को आर्थिक सहयोग एवं उनकी भागीदारी हेतु उपलब्ध कराई जा सके।

- जिला कार्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की सूचि पंचायती राज विभाग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।
- सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थाऍं, जनभागीदारी, एनआरवी आदि जिला कलक्टर के पास उपलब्ध कार्यो की सूचि में से परियोजना/कार्यो का उनकी सुविधा/रूचि अनुसार चयन कर सकेगें।
- सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थाऍं, जनभागीदारी, एनआरवी आदि उनके द्वारा चयनित एवं वित्त पोषित कार्यो के क्रियान्वयन या पर्यवेक्षण (या दोनों) हेतु अपने प्रतिनिधी नियुक्त कर सकेगें।

- सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थाएँ, जनभागीदारी, एनआरवी आदि के सहयोग हेतु किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं होगा कि वे गॉव , किसी भी परियोजना अथवा गतिविधी का चयन कर सकेगें।

- इसके अतिरिक्त इनके द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में संबंधित संगठन/संस्थाएँ अपना प्रचार–प्रसार कर सकेगी किन्तु उक्त के साथ राज्य सरकार की सहभागिता संबंधी बिन्दु भी प्रकाशित किया जायेगा।

- आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में सीएसआर अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग के लिए पृथक से एक सैल का गठन किया जायेगा। इस सैल में उक्त क्षेत्र में दक्ष 2–3 व्यक्तियों को नामित भी किया जा सकेगा। उक्त सैल जल संरक्षण मिशन को समय–समय पर नवीनतम प्रगति से अवगत कराता रहेगा। सी.एस.आर. सैल द्वारा सभी बड़ी इण्डस्ट्रीज जैसे कि रिलायन्स, हिन्दुस्तान जिंक, वेदान्ता आदि की सूची बनाकर उनसे सम्पर्क कर निधि उपलब्ध करवाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इसी प्रकार फिक्की, सी.आई.आई. आदि संस्थाओं से भी सम्पर्क किया जायेगा। सैल द्वारा इन सभी को कार्य अथवा गॉव गोद लेने हेतु भी प्रेरित किया जावें। सी. एस.आर. अंतर्गत वर्तमान में 70:30 का अनुपात हैं। इसके अंतर्गत मिशन का कार्य प्राथमिकता पर करवाये जाने की संभावना का परीक्षण कर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। अभियान हेतु अलग से सी.एस.आर. कॉनक्लेव आयोजित की जावें।

  आयुक्त, उद्योग द्वारा राज्य स्तर पर कॉर्पोरेट जगत से संबंधित व्यक्तियों को समय–समय पर अभियान की नवीनतम जानकारी देकर सहयोग हेतु प्रेरित किया जावें।

  सीएसआर अंतर्गत उपलब्ध राशि के उपयोग के लिए आयुक्त, उद्योग द्वारा नीतिगत निर्णय लेकर पृथक से निर्देश जारी किये जावें।

15. <u>जल बजट (वाटर बजट) तैयार करना</u>

- भूमि के प्रकार, ढलान एवं भूमि के सतही उपयोग के आधार पर वर्षा जल की उपलब्धता (रन ऑफ) का आंकलन किया जायेगा।

- गॉव की मांग का आंकलन (मानव, पशुधन, उद्योग धंधों एवं कृषि के उपयोग हेतु) किया जायेगा।

- गॉव में उपलब्ध जल संग्रहण ढांचों एवं प्रस्तावित जल संग्रहण ढांचों की जल रोकने की क्षमता का आंकलन किया जायेगा।

इसके पश्चात् क्षेत्र के सभी गॉवों के जल के आधिक्य/न्यूनता का आंकलन उस गॉव में दूसरे गॉव से आ रहे जल अथवा दूसरे गॉव में बहकर जा रहे जल के परिपेक्ष में आंकलन कर एक विस्तृत जल प्रवाह तन्त्र (वाटर फ्लो नेटवर्क) ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला स्तर पर तैयार किया जायेगा।

16. कार्य सम्पादन हेतु मशीनों का उपयोग

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के कार्यो के निष्पादन हेतु क्षेत्र की आवश्यकतानुसार केन्द्र/राज्य सरकार की वे योजनाएं जिनमें मशीनों का उपयोग अनुमत है, के अतिरिक्त कॉर्पोरेट जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्टों, एनआरवी, जन सहयोग आदि तथा राज्य निधी के तहत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों में भी मशीनों का उपयोग अनुमत होगा, जिससे कि चिन्हित कार्यो को त्वरित एवं समयबद्ध गति के साथ–साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पादित किये जा सके।

राजकीय विभागों द्वारा राजकीय राशि से अभियान के अंतर्गत मशीनों के उपयोग से सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदार्शिता नियम (RTPP) जहॉ भी लागू होता हो, वहॉ पारदर्शिता नियम के प्रावधानों के अनुरूप निविदाएं आमंत्रित कर ठेका पद्धति पर संबंधित योजना की गाईडलाईन की पालना करते हुए किया जा सकेगा।

कार्य सम्पादन के समय आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग आवश्यकतानुरूप आदेश जारी करेंगें यथा :–

(i) **कॉर्पोरेट/गैर सरकारी संस्थाएं/ट्रस्ट/ वैयक्तैयिक समूह कार्यो के क्रियान्वयन हेतु जन सहयोग के रूप में मशीन आदि उपलब्ध कराते हैं तो उसके लिए कलेक्टर द्वारा कार्यो की मात्रा का आंकलन कर मशीनों को सूचीबद्ध करते हुए डीजल एवं ऑयल के लिए स्वीकृति जारी की जायेगी। राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लेकर उक्त के लिये पृथक से आदेश जारी किये जायेगें।**

(ii) नालों की गहराई बढाने एवं चौड़ाई बढाने में निकलने वाली मिट्टी/बजरी आदि का परिवहन कर उन्हें खेतों अथवा रास्तों अथवा अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जायेगा। मिट्टी अथवा बजरी का स्थानांतरण प्रथमतः उसी ग्राम में एवं अधिकतम उस ग्राम की ग्राम पंचायत

सीमा में ही किया जावेगा। इसके लिए रॉयल्टी एवं अन्य कर आदि से मिशन की गतिविधियो को मुक्त रखने के संबंध में पृथक से संबंधित विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जायेंगें।

17. प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय प्रचार–प्रसार प्लान (आईसी गतिविधियॉ) के लिये सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तरदायी रहेगा।

विभिन्न स्तर के जन–प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण की कार्य योजना बनाकर क्रियान्विति का दायित्व महानिदेशक, इंदिरा गॉधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का होगा।

17.1 अभियान हेतु जन जागृति

- **राज्य स्तरीय आमुखिकरण कार्यशाला** : सम्मानीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीमण्डल, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सम्भागीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, सम्मानीय विधायक, जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, परियोजना प्रबंधक (जलग्रहण) आदि अधिकारियों का आमुखिकरण।

  - संभाग स्तरीय आमुखिकरण कार्यशाला :
  - जिला स्तरीय आमुखिकरण कार्यशाला।
  - ब्लॉक स्तरीय आमुखिकरण कार्यशाला।
  - सीएसआर हेतु उद्योगपतियों, एनआरआई, एनआरवी, गैर सरकारी संगठनों आदि का आमुखिकरण।
  - जेसीबी, पोंकलेण्ड, ट्रेक्टर एवं अन्य मिट्टी हटाने की मशीन मालिको का आमुखिकरण।
  - ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय आमुखिकरण कार्यशाला।
  - नुक्कड़/कटपुतली नाटक।
  - जल पद यात्राएं।
  - धार्मिक संत एवं गुरूओं को जोड़ते हुए संदेश प्रसारित करना।
  - प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न मीडिया तन्त्र यथा दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन।
  - ट्वीटर, फेसबुक, वाट्सऐप आदि तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए राज्य के प्रवासी तथा वे ग्रामीण प्रबुद्धजन (एनआरवी) जो अन्य जिलों/राज्यों में व्यापार/अन्य गतिविधियों आदि में कार्यरत हैं, उन्हें इस मिशन की जानकारी देकर जल संरक्षण के कार्यो के सम्पादन हेतु धन लगाने के लिए प्रेरित करना।

ग्राम पंचायत एवं जलग्रहण विभाग द्वारा भारत स्वच्छता मिशन, आईडब्ल्यूएमपी, कृषि, जल संसाधन एवं पंचायती राज की योजनाओं में अनुमत आईईसी सूचना संचार एवं संप्रेषण (आईईसी) मद में उपलब्ध राशि से ग्राम सभाओं में मिशन के उददेश्यों, कार्यो, कार्यकारी संस्थाओं, क्रियान्वयन, जन सहयोग, (श्रम, सामग्री एवं राशि) के सहयोग से जल के स्थाई

समाधान हेतु जन जागृति अभियान चलाया जायेगा, जिसका दायित्व जल समितियों का क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित कर दिया जावेगा।

18. मोनिटरिंग एवं प्रगति समीक्षा Evaluattion and Progress Review.

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" की मोनिटरिंग का कार्य जीआईएस तकनीक के द्वारा रियल टाईम बेसिस पर किया जायेगा। इस हेतु पर सभी जल संरक्षण कार्यो के अक्षांस एवं देशान्तर मय फोटोग्राफ स्मार्ट मोबाईल फोन आधारित ऐप्लीकेशन से भुवन पोर्टल (सृष्टि–दृष्टि) पर रियल टाईम बेसिस पर अपलोड किया जायेगा।

अन्य सूचनाएँ जैसे ग्राम कार्य योजना, बेस लाईन सर्वे, कार्य की लागत व्यय राशि, वर्तमान स्थिति, कार्यकारी संस्था एवं विभाग, एवं प्रगति रिपोर्ट आदि भी वैबसाईट पर अपलोड की जायेगी। यह कार्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया जावेगा। ''मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान'' हेतु एक अलग वैबसाईट स्थापित की जावेगी। जिस पर कार्यो की ऑनलाईन मोनिटरिंग की जावेगी।

समस्त कार्यो एवं ग्रामों में स्वीकृत कार्य योजना अनुसार प्रगति प्रतिवेदन नोडल विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले एमआईएस सिस्टम में ब्लॉक/जिला स्तर से सूचनाएं प्राप्त की जाकर जिला स्तर पर संकलन किया जायेगा।

19. उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समायोजन

उक्त मिशन में किये गये कार्यो का अंतिम भुगतान ग्राम स्तरीय भुगतान समिति द्वारा संतुष्ट होने के उपरांत उक्त समिति की संस्तुति पर किया जायेगा तत्पश्चात् कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरों सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जायेगें जिसे नियमानुसार जॉच उपरांत वित्तीय संस्था जहॉ से वित उपलब्ध कराया गया हैं, द्वारा नियत समयावधि में समायोजन किया जायेगा।

20. सफलता के सूचकांक

मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित ग्राम कार्य योजना एवं विभिन्न गतिविधियों के लक्षित परिणामों की समीक्षा निम्न सूचकांकों की कसौटी पर की जायेगी। परियोजना पूर्व की स्थिति जो बेस लाईन सर्वे में दर्ज की गई है, के विरूद्ध परियोजना क्रियान्वयन उपरांत विभिन्न घटकों में आये परिवर्तन के आधार पर परियोजना की सफलता को मापा जा सकेगा।

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु प्रमुख सूचकांक निम्नानुसार है :–

- सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि। (कृषि एवं राजस्व विभाग)
- फसल चक्र में परिवर्तन। (कृषि एवं राजस्व विभाग)
- गॉव में बाह्य जल स्त्रोतों से जलापूर्ति में कमी आना।(जन स्वास्थ्य अभि. विभाग)
- अकाल की पुनरावृत्ति में कमी आना। (राजस्व विभाग)
- कृषि वानिकी, उद्यानिकी पौधों की संख्या में वृद्धि। (कृषि एवं उद्यानिकी विभाग)
- कृषि ऋण/किसान कार्ड का सामयिक भुगतान। (सहकारिता विभाग)
- भूगर्भीय जल की गुणवत्ता में सुधार। (जन स्वास्थ्य अभि. विभाग)
- पशुओं के मौसम आधारित पलायन में कमी।(सर्वे अथवा पशुपालन विभाग)

21. अभियान के परिणाम (Output)

मिशन में क्रियान्वित गतिविधियों के लक्षित उददे्श्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिन्दुओं पर प्राप्त परिणामों को एक निश्चित समय अन्तराल के उपरांत दर्ज किया जायेगा एवं उक्त परिणाम क्रियान्वित कार्य योजना की सफलता को प्रदर्शित करेगें।

1. जलग्रहण क्षेत्र की मुख्य धारा में अंशतः पानी बहता रहेगा तथा छोटे झरनों के तल में मई–अप्रैल तक पानी का प्रवाह रहेगा।
2. कम से कम 40 प्रतिशत बारानी क्षेत्र (वर्षा आधारित) को सिंचित किया जा सकेगा।
3. मुख्य धाराओं में वर्षा से बहने वाले पानी में गंदलेपन की मात्रा कम होगी।
4. अन्ततः इन गांवों में अकाल की सम्भावनाओं को नगण्य किया जा सकता है, जिसका अर्थ है भू जल से गांवों की समस्त पेयजल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है एवं गर्मी में भी भू जल बहुवर्षिय सदाबहार वृक्षों की सिंचाई हेतु उपलब्ध रहेगा।
5. भू जलस्तर में वृद्धि/गिरते हुए भू–जल स्तर को रोकना।(भू जल विभाग) जिससे वर्तमान में 30 मीटर पर उपलब्ध भू जल की 3 मीटर पर उपलब्धता रहेगी।
6. जल आत्म निर्भर ग्राम का निर्माण (टेन्कर आपूर्ती से मुक्त) सूखा/अकाल से मुक्ति हेतु एवं जल का स्थाई समाधान।
7. भू जल स्तर में वृद्धि एवं गिरते भू–जल स्तर में कमी।
8. सिंचित क्षेत्र में वृद्धि।

9. फसल पद्धति (Cropping Pattern) में बदलाव।

10. पेयजल योजनाओं में जल उपलब्धता में स्थायित्व।

चयनित क्षेत्रों के परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु संलग्न परिशिष्टों के अनुसार सूचनाएं संकलित कर उपयोग में लाई जावेगी।

"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" एक समयबद्ध अभियान हैं एवं विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित कर समयबद्ध कार्य योजना संलग्न की जा रही हैं।

निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अभियान हेतु कार्य सम्पादन निर्धारित समय सीमा का अनुपालन किया जावें एवं उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी कार्य समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जावें।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

क्रमांक एफ.21(07)/निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/198-630 दिनांक : 30/10/2015

प्रतिलिपिः–

1 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
2 विशेषाधिकारी (जी), मुख्यमंत्री कार्यालय,राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, आयोजना विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
8 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12 विशिष्ठ सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13 विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।
14 निजी सचिव, माननीय सांसद राजस्थान (समस्त)
15 निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा (समस्त)
16 वरिष्ठ उप सचिव, सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
17 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, उद्यान एवं पशुपालन विभाग।
18 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग।
19 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग।
20 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
21 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
22 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
23 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

24 निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान।
25 निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग।
26 निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
27 निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी व भू जल विभाग।
28 निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
29 निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
30 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
31 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
32 सम्भागीय आयुक्त समस्त
33 आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
34 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
35 निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर।
36 निदेशक सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
37 निदेशक, श्रम विभाग, जयपुर।
38 जिला कलक्टर समस्त
39 जिला प्रमुख समस्त
40 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त विकास अधिकारियों एवं अन्य सभी विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध करावें।
41 मुख्य अभियंता (सिंचाई/ग्रामीण), जल संसाधन विभाग।
42 परियोजना प्रबंधक एवं अधीक्षण अभियंता, वाटरशैड सेल कम डेटा सेन्टर समस्त।
43 निजी आरक्षी पंजिका।

शासन सचिव
पंचायती राज